चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : [redacted]/1687
दिनांक : 17.05.2019

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक,
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय : एलएल0एम0 पाठ्यक्रम की आंतरिक परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों में संचालित एलएल0एम0 पाठ्यक्रम की आन्तरिक परीक्षा के संचालन के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांकः कमेटी सेल / 393, दिनांकः 14.03.2019 को निर्गत अधिसूचना एवं पत्रांकः परीक्षा / 997 दिनांकः 06.05.2019 के आलोक में कतिपय विद्यार्थियों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन को दृष्टिगत रखते हुए निम्न संशोधित नियम सुनिश्चित किये गये हैं:–

1. शैक्षिक सत्र 2017–18 व 2018–19 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए सत्र 2018–19 में प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ सेमेस्टर में आन्तरिक परीक्षा के नियम केवल वर्तमान सत्र के लिए ऐच्छिक रूप से लागू माने जायेंगे। आन्तरिक परीक्षा के विकल्प को न चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विषय में सैद्धान्तिक परीक्षा अधिकतम 100 अंकों की होगी तथा आन्तरिक परीक्षा के विकल्प को चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंकों में से सैद्धान्तिक परीक्षा अधिकतम 70 अंकों एवं आन्तरिक परीक्षा 30 अंकों (10+10+10) की परीक्षा होगी। आन्तरिक परीक्षा के विकल्प को चुनने वाले विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय परिसर / महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा उनकी लिखित परीक्षा समाप्त होने के 10 दिनों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। यहाँ यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि आन्तरिक परीक्षा का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों को सभी विषयों की आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। एलएल0एम0 में आन्तरिक परीक्षा को ऐच्छिक रूप से केवल उक्त सत्र में ही लागू किया गया है, जिसे आगामी वर्षों में आधार नहीं बनाया जा सकता है।
2. विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालयों / संस्थानों से अपेक्षित है कि वे लिखित परीक्षा समाप्त होने के 15 दिनों के अन्तर्गत आन्तरिक परीक्षाओं को सम्पन्न कराकर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर डाटा को उपलोड करते हुए, अंकपर्णो की कुलसचिव प्रति एवं टेबूलेटर प्रथम प्रति को विश्वविद्यालय को 15 दिनों के अन्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
17-5-19
कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. सचिव प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. संकायाध्यक्ष, विधि।
4. प्रेस प्रवक्ता, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
6. उपकुलसचिव (गोपनीय)।

कुलसचिव

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA